कार्यालय अंचल अधिकारी, तोरपा।

वाद अभिलेख सं0 208/17-18 (अन्तर्गत धारा 4(h) BLR Act. 1950)

आदेश पत्रक सं0 .... से .... तक

वाद का प्रकार :– बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई

आदेश का क्रमांक तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर गई कार्रवाई टिप्पणी आदेश
20.12.17	झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074/रा0 दिनांक 13.05.2016 सहपठित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू0–अर्जन–विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र सं0–3–खा0म0निति–119/85/2308/रा0 दिनांक 09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरुआ खास भूमि में कायम की गई जमाबंदियों जाँच प्रारम्भ की गई। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया कि मौजा जटाटोली थाना तोरपा खाता सं0 25 प्लॉट सं0 350 रकबा 5.61 एकड़ की भूमि जो गैरमजरुआ खास अनाबद बिहार (झारखण्ड) सरकार की खाते की सरकारी भूमि जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी II के जिल्द सं0 .... पृष्ठ सं0 .... पर जमाबंदी रैयत कुन्दन पाहन पिता/पति का नाम .... से कायम है। यह जमाबंदी संदिग्ध है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बन्दोबस्ती के आधार पर/अवैध सादाहुकुनामा कायम की गयी है। जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्टय उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत् जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है। अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू0–खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेज/ निर्गत लगान रसीद की मांग करे तथा उनको कारण–पृच्छा करे कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हेतु इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 4(h) के तहत् सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय। अभिलेख दिनांक 5.1.18 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित 20/12/17 अंचल अधिकारी तोरपा	

Scanned by TapScanner

...श की ...थि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदे... कार... आदे...
...11.2020	अभिलेख उपस्थापित, मूल पंजी II/जमाबंदी पंजी एवं खतियान का अवलोकन किया गया। इस अवैध/संदिग्ध जमाबंदी के संबंध मे भूमि सुधार अधिनियम की धारा 4h के तह्त पूर्व से वाद सं0.....207...... के अन्तर्गत कार्यवाही संचालित है। चुंकि एक ही मामले मे दो अलग–अलग वाद के तह्त सुनवाई नही की जा सकती है। इस कारण अंचल निरीक्षक एवं राजस्व उपनिरीक्षक से प्राप्त अनुशंसा एवं दस्तावेजो के अवलोकन के आधार पर इस वाद की कार्यवाही बंद की जाती है। 18/11/2020 अंचल अधिकारी तोरपा।	

Scanned by TapScanner

जमाबंदी वाद सं - 208

वादी - दुलार पाहन

यह मामला पुनरावृत्ति का है जिसका वाद सं - 207 है। इस मामले पर कार्यवाही Case no. - 207 में चल रहा है। अतः इस मामले को खारिज किया जा सकता है।

Rajesh

Scanned by TapScanner